भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3801
दिनांक 17.03.2020/27 फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए

शत्रु संपत्तियां

†3801. श्री पी॰सी॰ गद्दीगौदरः

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में स्थित शत्रु संपत्तियों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है और इनका अनुमानित मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय शत्रु संपत्ति संरक्षक में निहित शत्रु संपत्तियों के निपटान के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है और इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा कितनी अनुमानित राजस्व राशि सृजित किये जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): आज की तारीख के अनुसार, 302 कंपनियों के शत्रु शेयर और 12426 अचल शत्रु संपत्तियां "भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई)" के अधिकार में रखी गई हैं। अधिकार में रखी गई इन अचल संपत्तियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। शत्रु संपत्तियों का मूल्य लगभग एक लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है।

(ख) और (ग): भारत सरकार ने दिनांक 18.02.2019 के आदेश के द्वारा शत्रु शेयरों की बिक्री के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। इसके अलावा, सरकार ने दिनांक 21.03.2018, 8.03.2019 और 22.01.2020 के आदेशों के द्वारा "भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई)" के अधिकार में रखी गई अचल शत्रु संपत्तियों के निपटान हेतु विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है। उपर्युक्त आदेशों द्वारा वैकल्पिक प्रणाली सहित कई समितियां गठित की गई हैं, जिनमें गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री शामिल हैं।

(घ) : चूंकि नई संपत्तियों को उनकी पहचान के बाद अधिकार में लिया जाता है, इसलिए शत्रु संपत्ति को अधिकार में लिया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके बाद इस तरह अधिकार में ली गई संपत्तियों का निपटान किया जाता है। इनका निपटान बाजार प्रक्रियाओं और न्यायिक हस्तक्षेपों (इंटरवेंशंस) के शर्ताधीन होता है। अतः शत्रु संपत्तियों के निपटान हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

****

लो.स. अता. प्र.सं. 3801 दिनांक 17.03.2020

अनुलग्नक-I

सीईपीआई के अधिकार में रखी गई अचल शत्रु संपत्तियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	संपत्तियों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	01
2.	असम	29
3.	अंडमान एवं निकोबार	01
4.	बिहार	94
5.	छत्तीसगढ़	11
6.	दिल्ली	659
7.	दमण एवं दीव	01
8.	गोवा	295
9.	गुजरात	152
10.	हरियाणा	71
11.	झारखंड	10
12.	कर्नाटक	24
13.	केरल	71
14.	मध्य प्रदेश	94
15.	महाराष्ट्र	208
16.	मेघालय	57
17.	राजस्थान	13
18.	तमिलनाडु	67
19.	तेलंगाना	157
20.	त्रिपुरा	105
21.	उत्तर प्रदेश	5936
22.	उत्तराखंड	69
23.	पश्चिम बंगाल	4301
	कुल	**12426**

****

Detailed procedure for disposal of enemy shares Order dated 18.02.2019

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 762] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2019/माघ 29, 1940
No. 762] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2019/MAGHA 29, 1940

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

का.आ. 885(अ).—केंद्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 8क की उपधारा (6) के अनुसरण में, उक्त अधिनियम के अधीन भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक में निहित शत्रु शेयर के विक्रय के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम शत्रु शेयर के विक्रय के लिए प्रक्रिया और क्रियाविधि आदेश, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उच्च स्तरीय समिति का गठन-(1) केन्द्रीय सरकार इस आदेश के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनी उच्च स्तरीय समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन कर सकेगी, अर्थात्:--

(i) सचिव, वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग- सह अध्यक्ष;

(ii) सचिव, गृह मंत्रालय, - सह अध्यक्ष;

(iii) सचिव वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग या उसका संयुक्त सचिव की रैंक से अन्यून प्रतिनिधि;

(iv) सचिव विधि कार्य विभाग या उसका संयुक्त सचिव की रैंक से अन्यून प्रतिनिधि;

(v) सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय या उसका संयुक्त सचिव की रैंक से अन्यून प्रतिनिधि;

(vi) वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय;

(vii) वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग;

(viii) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय;

(ix) संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग;

(x) भारत का शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ।

(2) उच्च स्तरीय समिति खंड 3 के अधीन गठित उच्च शक्ति समिति को शत्रु शेयर के विक्रय के लिए मात्रा और कीमत या कीमत बैंड अथवा शत्रु शेयर के विक्रय के लिए सिद्धांत या क्रियाविधि अथवा पद्धति की सिफारिश करेगी।

परंतु उच्च शक्ति समिति को कोई सिफारिश करने से पूर्व उच्च स्तरीय समिति भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक से यह प्रमाणित करने की वांछा करेगी कि शत्रु शेयर का विक्रय किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन में नहीं है और उसका निपटारा सरकार द्वारा किया जा सकता है।

3. वैकल्पिक क्रियाविधि – (1) केन्द्रीय सरकार इस आदेश के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनी उच्च शक्ति समिति के नाम से ज्ञात एक वैकल्पिक क्रियाविधि का गठन कर सकेगी, अर्थात्:--

(i) गृह मंत्री;

(ii) वित्त मंत्री; और

(iii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ।

(2) उच्च शक्ति समिति, उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर शत्रु शेयर के विक्रय के लिए मात्रा और कीमत या कीमत बैंड अथवा ऐसे शेयर के विक्रय के लिए सिद्धांत या क्रियाविधि अथवा पद्धति का विनिश्चय करेगी।

4. शत्रु शेयर का विक्रय – उच्च शक्ति समिति के विनिश्चयों के आधार पर, भारत का शत्रु संपत्ति अभिरक्षक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार इसकी अभिरक्षा के अधीन शत्रु शेयर का विक्रय कर सकेगी।

[फा. सं. 37/90/2017-EP]

के.बी. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 18th February, 2019

S.O. 885(E).— In pursuance of sub-section (6) of section 8A of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), the Central Government hereby makes the following order for the sale of enemy share vested in the Custodian of Enemy Property for India under the said Act, namely:–

1. Short title and commencement. – (1) This order may be called The Procedure and mechanism for Sale of Enemy Share Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Constitution of High Level Committee. - (1) The Central Government may constitute a Committee consisting of the following to be known as the High Level Committee for the purposes of this Order, namely: –

(i) Secretary, Ministry of Finance, Department of Investment and Public Assets Management – Co-Chair;

(ii) Secretary, Ministry of Home Affairs - Co-Chair;

(iii) Secretary or representative, not below the rank of Joint Secretary of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs;

(iv) Secretary or representative, not below the rank of Joint Secretary of the Department of Legal Affairs;

(v) Secretary or representative, not below the rank of Joint Secretary of the Ministry of Corporate Affairs;

(vi) Financial Advisor, Ministry of Home Affairs;

(vii) Financial Advisor, Ministry of Finance, Department of Investment and Public Assets Management;

(viii) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs;

(ix) Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Investment and Public Assets Management; and

(x) Custodian of Enemy Property for India.

(2) The High Level Committee may recommend the quantum and price or price band for sale of enemy share or the principles or mechanism or method for sale of enemy share to the High Power Committee constituted under clause 3:

Provided that before making any recommendation to the High Power Committee, the High Level Committee shall seek from the Custodian of Enemy Property for India to certify that the sale of enemy share is not in contravention of any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority or any law for the time being in force and can be disposed of by the Government.

3. Alternative Mechanism.–(1) The Central Government may constitute an Alternative Mechanism to be known as High Power Committee consisting of the following for the purposes of this Order, namely: –

(i) Home Minister;

(ii) Finance Minister; and

(iii) Minister of Road Transport and Highways.

(2) The High Power Committee shall, on the basis of the recommendation made by the High Level Committee, decide the quantum and price or price band for sale of enemy share or the principles or mechanism or method for sale of such share.

4. Sale of Enemy Share.–On the basis of the decisions of the High Power Committee, the Custodian of Enemy Property for India may sale the enemy share under its custody in accordance with the procedure specified in any law for the time being in force.

[F. No 37/90/2017-EP]

K.B. SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.02.18 16:12:49 +05'30'

Procedures for disposal of immovable enemy properties Order dated 21.03.2018

registered post and if he again fails to appear after the second notice, then the proceedings shall be heard *ex-parte* and the reasons thereof shall be recorded.

(3) On completion of the proceedings, the details including depositions shall be furnished to the parties.

(4) The concerned Joint Secretary shall, after examining the evidence and calling for further reports and inquiry as may be necessary, pass such orders thereon as he thinks fit, and a copy of the said orders shall be sent to the parties, after approval of the Central Government.

4. Transfer of property by the Custodian.- The Custodian, on receipt of the order of the Joint Secretary to treat the property not as an enemy property, shall revoke his earlier order vesting such property in him and publish the same in public domain and send a copy thereof to the concerned parties and to the District Authority for amending its records.

[F. No. 37/32/2017-EP]

A V DHARMA REDDY, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2018

सा.का.नि. 258(अ).—केन्द्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 8क की उपधारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन भारत में शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक में निहित शत्रु संपत्ति (जंगम और स्थावर) का निपटान करने के लिए निम्निलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) ये आदेश शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **अभिरक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार को सभी शत्रु संपत्तियों की सूची प्रस्तुत किया जाना** – अभिरक्षक द्वारा सभी निहित शत्रु संपत्तियों (जंगम और स्थावर) की सूची, इस आदेश के प्रकाशन से तीन मास के भीतर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की जाएगी ।

3. **स्थावर शत्रु संपत्तियों का मूल्यांकन** – (1) स्थावर शत्रु संपत्ति के मूल्यांकन के उद्देश्य से, जिला स्तर पर एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) जिले का जिला मजिस्ट्रेट जहां संपत्ति स्थित है......अध्यक्ष

(ख) जिले का रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार.......सदस्य

(ग) सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी का अधीक्षक/कार्यपालक इंजीनियर.......सदस्य

(2) समिति, उस क्षेत्र की सर्कल दर, जहां संपत्ति स्थित है, या अन्य मूल्यांकन रीतियों के साथ संपत्ति के मूल्यांकन की रीति के रूप में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर विचार करेगी ।

4. **शत्रु संपत्तियों के मूल्यांकन रिपोर्ट की सुपुर्दगी-** अभिरक्षक मूल्यांकन समिति से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर शत्रु संपत्ति के साथ-साथ उनके मूल्यांकन की राज्यवार सूची तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

5. **शत्रु संपत्ति का निपटान करने के लिए समिति का गठन-** केन्द्रीय सरकार एक समिति का गठन करेगी जो शत्रु संपत्ति निपटान समिति के रूप में जानी जाएगी, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) शत्रु संपत्ति से संबंधित मंत्रालय या विभाग का अपर सचिव, भारत सरकार.................................अध्यक्ष

(ख) शत्रु संपत्ति से संबंधित मंत्रालय या विभाग का अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार.................................सदस्य

(ग) वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का संयुक्त सचिव.........सदस्य

(घ) विधि और न्याय मंत्रालय का संयुक्त सचिव......सदस्य

(ङ) सीपीडब्ल्यूडी का मुख्य इंजीनियर.....सदस्य

(च) भारत में शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक......सदस्य

(छ) शत्रु संपत्ति से संबंधित मंत्रालय या विभाग का संयुक्त सचिव ....सदस्य

(2) समिति केन्द्रीय सरकार को शत्रु संपत्ति के निपटान या रीति और उसके साथ संबंधित मामले जिसमें शत्रु संपत्ति व्यवहार करें इस पर सिफारिश करेगी।

(3) समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति इसकी कुल संख्या के आधे की होगी।

6. **शत्रु संपत्ति निपटान समिति की बैठक** – शत्रु संपत्ति निपटान समिति अपनी बैठक सहित, अपने स्वयं के कार्य व्यवहार के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी।

7. **शत्रु संपत्ति निपटान समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार को संस्तुति** – (1) शत्रु संपत्ति निपटान समिति, शत्रु समिति के संबंध में केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित सिफारिशों में से कोई सिफारिश करेगी, अर्थात् :-

(क) शत्रु संपत्ति का विक्रय ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा शत्रु संपत्ति का प्रयोग ;

(ग) शत्रु संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखना ;

(घ) शत्रु संपत्ति का अंतरण ;

(ङ) कोई अन्य रीति जिसमें शत्रु संपत्ति के संबंध में कार्यवाई करेगी।

(2) खाली स्थावर शत्रु संपत्ति की दशा में, समिति, खाली स्थावर शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए उच्चतम कीमत का प्रस्ताव करने वाले क्रेता की सिफारिश कर सकेगी।

(3) समिति, अधिकृत स्थावर शत्रु संपत्ति की दशा में विद्यमान अधिभोगी को उसके निपटान के लिए मूल्यांकन की प्रतिशतता की सिफारिश कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी और उनके आधार पर निर्णय ले सकेगी।

8. **जंगम शत्रु संपत्ति का विक्रय** – अभिरक्षक, शेयर जैसी जंगम शत्रु संपत्ति का विक्रय, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एक या अधिक लाटों में स्वयं या ऐसे किसी वृत्तिक निकाय को प्राधिकृत करके कर सकेगा।

9. **स्थावर शत्रु संपत्ति का विक्रय** – खाली स्थावर शत्रु संपत्ति की दशा में, अभिरक्षक या कोई प्राधिकृत निकाय, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिकतम विक्रय कीमत सुरक्षित करने के लिए एक या अधिक लाट में निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक पद्धति द्वारा संपत्ति का विक्रय कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) स्थावर संपत्ति क्रय करने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से प्राप्त कोटेशन द्वारा ; या

(ख) जनता से निविदाएं आमंत्रण द्वारा (जिसके अंतर्गत ई-मोड माध्यम भी है) ; या

(ग) सार्वजनिक नीलामी द्वारा ; या

(घ) विक्रय की किसी अन्य पद्धति द्वारा ;

(ङ) संपत्ति के विक्रय के लिए वृत्तिक निकाय की नियुक्ति के द्वारा।

(2) शत्रु संपत्ति के अधिकृत होने की दशा में, अभिरक्षक संपत्ति को विद्यमान अधिभोगी को या उससे अन्यथा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए, शत्रु संपत्ति निपटान समिति द्वारा अवधारित मूल्य दर पर विक्रय करेगा।

(3) संपत्ति के विक्रय मूल्य की प्राप्ति पर अभिरक्षक क्रेता को परिशिष्ट (क) में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

10. **अभिरक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना** – अभिरक्षक, केन्द्रीय सरकार को, ऐसे अंतराल पर, विक्रय द्वारा या अन्यथा निपटान की गई शत्रु संपत्ति (जंगम और स्थावर) की एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें ऐसे ब्यौरे, जिसके अंतर्गत वह कीमत जिसके लिए शत्रु संपत्ति का विक्रय किया गया है और उस क्रेता की विशिष्टियां, जिसे संपत्तियों का विक्रय या निपटान किया गया है और भारत की संचित निधि में जमा किए गए विक्रय या निपटान के आगमों के ऐसे ब्यौरे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, अंतर्विष्ट होंगे ।

[फा. सं. 37/32/2017-ईपी]

ए. वी. धर्मा रेड्डी, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट–क

[शत्रु संपत्ति निपटान आदेश, 2018 के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 9 के साथ पठित शत्र संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 5क, धारा 10, धारा 10क, धारा 12 और धारा 22क(ख) देखें]

विक्रय प्रमाण पत्र
(स्थावर शत्रु संपत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी, जो शत्रु संपत्ति अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अधीन अभिरक्षक है, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 10, धारा 10क, धारा 12 और धारा 22ख के साथ पठित धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ने .... (क्रेता) के पक्ष में पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन और नीचे दर्शित अभिरक्षक में सभी विल्लंगमो से मुक्त निहित स्थावन संपत्ति का विक्रय किया है :--

2. अधोहस्ताक्षरी .... (केवल .... रुपए) की पूरी विक्रय कीमत की प्राप्ति अभिस्वीकार करता है और अनुसूचित संपत्ति का कब्जा देता है ।

स्थावर संपत्ति का वर्णन

संपत्ति, जो संख्या ....
प्लाट सं. .... सर्वे संख्या .... शहर/नगर सर्वे संख्या .... खसरा संख्या .... उप जिला .... और जिला .... में रजिस्ट्रीकृत है, के सभी अनिवार्य भाग ।

सीमाएं–उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में..
....

....
(भारत की शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक)

तारीख ....
स्थान ....

ORDER

New Delhi, the 21st March, 2018

G.S.R. 258(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (6) of section 8A of the Enemy Property Act, 1968 [34 of 1968], the Central Government hereby makes the following order for the disposal of enemy property (both movable and immovable) vested in the Custodian of Enemy Property for India under the said Act, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called Guidelines for the disposal of Enemy Property Order, 2018**.**

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Custodian to submit list of all enemy properties to the Central Government. — A list of all vested enemy properties (movable and immovable) shall be prepared by the Custodian for its submission to the Central Government within three months from the publication of this order.

3. Valuation of immovable enemy properties. — (1) For the purpose of valuation of immovable enemy property, there shall be constituted a Valuation Committee at the district level consisting of the following, namely :-

(a) District Magistrate of a district where the property is situated..........Chairman

(b) Registrar/ Sub-Registrar of the District...Member

(c) Superintendent/ Executive Engineer of CPWD/PWD.......................Member

(2) The Committee shall consider the circle rate of the area where the property is situated or a rate fixed by the district administration as a mode of valuation of the property alongwith other valuation modes.

4. Submission of valuation reports of the enemy properties.-The Custodian shall prepare and submit the State-wise list of the enemy properties along with their valuation to the Central Government within one month from the date of receipt of the valuation report from the Valuation Committee.

5. Constitution of Committee for disposal of enemy property. -- (1) The Central Government shall constitute a Committee consisting of the following to be known as Enemy Property Disposal Committee, namely:-

(a) Additional Secretary to the Government of India in the Ministry or Department dealing with enemy property ....Chairman

(b) AS and FA in the Ministry or Department dealing with enemy property ....Member

(c) Joint Secretary in the Department of Disinvestment and

Public Asset Management, Ministry of Finance..Member

(d) Joint Secretary in the Ministry of Law and Justice ....Member

(e) Chief Engineer, CPWD..Member

(f) Custodian of Enemy Property for India...Member

(g) Joint Secretary in the Ministry or Department dealing with enemy property ....Member-Secretary

(2) The Committee shall give its recommendation to the Central Government for the disposal of enemy property or the manner in which the enemy property may be dealt with and matters connected therewith.

(3) The quorum for a meeting of the Committee shall be half its total strength.

7. Recommendations to the Central Government by the Enemy Property Disposal Committee. – (1)The Enemy Property Disposal Committee shall make any of the following recommendations to the Central Government in relation to the enemy property, namely:-

(a) sale of enemy property;

(b) usage of enemy property by the Ministries or Departments of the Central Government;

(c) maintaining status quo in respect of enemy property;

(d) transfer of enemy property;

(e) any other manner in which the enemy property may be dealt with.

(2) In case of vacant immovable enemy property, the Committee may recommend the purchaser offering the highest price for disposal of vacant immovable enemy property.

(3) In case of occupied immovable enemy property, the Committee may recommend the percentage of valuation for its disposal to the existing occupier.

(4) The Central Government shall consider the recommendations of the Committee and take its decision thereon.

8. **Sale of movable enemy property. --** The Custodian may sell the movable enemy property such as shares, with the prior approval of the Central Government, in one or more lots by itself or by authorising any professional body for such sale.

9. Sale of immovable enemy property.-- (1) In case of **vacant** immovable enemy property, the Custodian or any authorised body may sell the property, in one or more lots to secure maximum sale price, with the prior approval of the Central Government, by any one of the following methods, namely:-

(a) by obtaining quotations from the persons interested in buying the immovable property; or

(b) by inviting tenders from the public (including through e-mode); or

(c) by holding public auction; or
(d) by any other method of sale; or

(e) by engaging a professional body for sale of the property.

(2) In case of **occupied** enemy property, the Custodian shall sell the property to the existing occupier or otherwise as may be decided by the Central Government and at the rate as determined by the Enemy Property Disposal Committee.

(3) On receipt of the sale price of the property, the Custodian shall issue a certificate to the purchaser in APPENDIX - A.

10. Submission of report by the Custodian to the Central Government .- The Custodian shall send a report to the Central Government at such interval, of the enemy property (movable and immovable) disposed of whether by sale or otherwise, containing such details, including the price for which such enemy property has been sold and the particulars of the buyer to whom the properties have been sold or disposed of and the details of the proceeds of sale or disposal, deposited into the Consolidated Fund of India, as the Central Government, may specify.

[F. No. 37/32/2017-EP]

A V DHARMA REDDY, Jt. Secy.

APPENDIX-A

[See sections 5A, 10, 10A, 12 and 22A (b) of the Enemy Property Act, 1968 read with paragraph 9 of the Guidelines for the Disposal of Enemy Property Order, 2018]

SALE CERTIFICATE

(For Immovable Enemy Property)

Whereas the undersigned, being the Custodian under the Enemy Property Act and the rules and orders made thereunder and in exercise of the powers conferred by section 8A, read with sections 10, 10A, 12 and 22A(b) of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968),sold in favour of_________(purchaser), the immovable property vested free from all encumbrances in the Custodian under the aforesaid Act and shown below:-

2. The undersigned acknowledge the receipt of the sale price of Rs. ________________ (Rupees ____________ only) in full and handed over the delivery and possession of the scheduled property.

Description of the Immovable Property

-- All that part and parcel of the property consisting of --------------------
----No._______/Plot No. _______in Survey No. _______/ City or Town Survey No. _______/ Khasara No. _______ within the registration sub-district_______and District_______.

Bounded: On the North by On the South by On the East by On the West by ---
----

(Custodian of Enemy Property for India)

Date-------------------

Place------------------

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.03.22 19:24:54 +05'30'

Procedures for disposal of immovable enemy properties Order dated 08.03.2019

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940
No. 176]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/ PHALGUNA 17, 1940

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

सा.का.नि.201(अ).—केन्द्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 8क की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् : —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : —

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए मार्गदर्शन (संशोधन) आदेश, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश, 2018 के पैरा 7 में, उप पैरा (1) खण्ड (घ) के बाद निम्नलिखित डाला जाएगा, अर्थात्: —

"(घ)(i) राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से सार्वजनिक उपयोगिता के लिए शत्रु संपत्ति का प्रयोग।"

[फा.सं. 37/32/2018-ईपी]

के.बी. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 258(अ), तारीख 21 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 8th March, 2019

G.S.R. 201(E) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 8A of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), the Central Government hereby makes the following order to amend the Guidelines for disposal of Enemy Property Order, 2018, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) This order may be called the Guidelines for disposal of Enemy Property (Amendment) Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Guidelines for the disposal of Enemy Property Order, 2018, in paragraph 7, in sub-paragraph (1) after clause (d), the following shall be inserted namely: —

"(d)(i) Usages of Enemy Property by the State Government exclusively for public use."

[F.No.37/32/2018-EP]

K. B. SINGH, Jt. Secy.

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. 258 (E) dated the 21st March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.03.08 15:45:18 +05'30'

Procedures for disposal of immovable enemy properties Order dated 22.01.2020

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012020-215636
CG-DL-E-22012020-215636

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2020/माघ 2, 1941
No. 281] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2020/MAGHA 2, 1941

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2020

का.आ. 292(अ).—केंद्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम,1968 (1968 का 34) की धारा 8क की उप-धारा (5), उप-धारा (6) और उप-धारा (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक में निहित अचल शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अचल शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए प्रक्रिया और क्रियाविधि आदेश, 2020 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **अंतर-मंत्रालय समूह (आइएमजी).**—केंद्रीय सरकार सचिव, डीआईपीएएम और सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता/सह-अध्यक्षता और गृह मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, विधि कार्य विभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों, वित्तीय सलाहकार (डीआईपीएएम), वित्तीय सलाहकार (गृह मंत्रालय) और भारत के शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक (सीईपीआई) से मिलकर बनने वाले एक अंतर-मंत्रालीय समूह का गठन कर सकेगी।

3. आस्ति के मुद्रीकरण पर सचिवों का कोर समूह (सीजीएएम).—केंद्रीय सरकार, सचिव (आर्थिक मामलों के विभाग), सचिव (राजस्व विभाग), सचिव (व्यय विभाग), सचिव (सार्वजनिक उद्यम विभाग), सचिव (कारपोरेट कार्य मंत्रालय), सचिव (विधि कार्य विभाग), सचिव (शहरी विकास)(भूआस्तियों के मुद्रीकरण के मामले में), सचिव (गृह मंत्रालय), सचिव (डीआईपीएएम) से मिलकर बनने वाले मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता के अधीन आस्ति के मुद्रीकरण (सीजीएएम) पर सचिवों के कोर समूह का गठन कर सकेगी ।

4. वैकल्पिक क्रियाविधि (ए एम).—केंद्रीय सरकार निम्नलिखित से मिलकर बनने वाले एक वैकल्पिक क्रियाविधि का गठन कर सकेगी।

(i) गृह मंत्री;

(ii) वित्त मंत्री; और

(iii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री।

5. अचल शत्रु संपत्तियों के निपटान के लिए प्रक्रिया और क्रियाविधि.-

(1) शत्रु संपत्ति का निपटान आदेश, 2018 के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 7 के उपपैरा (1) के खंड (क) के निबंधनानुसार गृह मंत्रालय की शत्रु संपत्ति निपटान समिति द्वारा विक्रय के लिए सिफारिश की गई अचल शत्रु संपत्ति और गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तथा जिसका मूल्य वैकल्पिक क्रियाविधि द्वारा अनुमोदित अवसीमा मूल्य के ऊपर हो, का निपटान, विक्रय या अन्य प्रकार से, केंद्रीय सरकार द्वारा, यथा-अनुमोदित नीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(2) उक्त आदेश के पैरा (7) के उप पैरा (1) के खंड (क) के निबंधनानुसार उक्त शत्रु संपत्ति निपटान समिति द्वारा विक्रय के लिए सिफारिश की गई अचल शत्रु संपत्ति और जिसका मूल्य वैकल्पिक क्रियाविधि द्वारा अनुमोदित अवसीमा मूल्य से कम हो, का निपटान, विक्रय या अन्य प्रकार से, सीईपीआई द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।

(3) कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2018-डीआईपीएएम-II, तारीख 8 मार्च, 2019 में अनुमोदित और अधिकथित नीति तथा प्रक्रिया एवं वैकल्पिक क्रियाविधि द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले अतिरिक्त विस्तृत संव्यवहार प्रक्रिया का अचल शत्रु संपत्ति का निपटान के लिए अनुसरण किया जायेगा।

6. भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई) द्वारा डीआईपीएएम को प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना.- सीईपीआई अचल शत्रु संपत्ति के निपटान के संबंद्ध में किसी प्रस्ताव, जिसे अंतरमंत्रालीय समूह (आईएमजी) के समक्ष रखा जाना है, को डीआईपीएएम को भेजने से पूर्व.—

(i) राज्य सरकार सहित सभी पणधारियों के साथ परामर्श करके निपटान के लिए संपत्तियों का चयन करेगा;

(ii) यह प्रमाणित करेगा कि निपटान हेतु पहचान की गयी शत्रु संपत्ति, किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अतिलंघन नहीं करती हो; और

(iii) यह प्रमाणित करेगा कि एक स्पष्ट विलेख उपलब्ध है और वह संपत्ति बाधा और अधिक्रमण से मुक्त है; और अंतरमंत्रालीय समूह (आईएमजी) के विचार के लिए सर्किल रेट (वह तारीख जिस पर वह दर नियत की गई थी, और सर्किल रेट के आवधिक पुनरीक्षण सहित) के साथ मूल्यांकन और अन्य सुसंगत कागजात, के साथ उक्त संपत्ति के निर्देशांक और राजस्व कागजातों के साथ संपूर्ण प्रस्ताव करेगी ।

7. अंतर मंत्रालीय समूह (आई एम जी), सी ई पी आई के प्रस्ताव की समीक्षा के पश्चात् , अचल शत्रु संपत्ति के विक्रय हेतु अवसीमा मूल्य का अनुमोदन करने के लिए आस्ति मुद्रीकरण पर सचिवों के कोर समूह (सी जी ए एम) को या वैकल्पिक क्रियाविधि (ए एम), जैसा भी मामला हो, को सिफारिश करेगी।

8. अभिरक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना.—सीईपीआई, ऐसे अन्तराल पर केन्द्रीय सरकार को निपटान की गई अचल शत्रु संपत्ति, चाहे विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से, ऐसे ब्यौरे को अंतर्विष्ट करते हुए, जिसके अंतर्गत ऐसी शत्रु संपत्ति का विक्रय मूल्य सम्मिलित है और क्रेता की विशिष्टियां जिसको उक्त संपत्ति विक्रय की गई है या उसका निपटान किया गया है , जिसमे ऐसे विक्रय या अन्य प्रकार से, निपटान की गयी शत्रु सम्पति की भारत की संचित निधि में जमा की गयी विक्रित राशि के ब्यौरे को सम्मिलित किया गया है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस आदेश के प्रयोजन के लिए, शत्रु संपत्ति का अवसीमा मूल्य आस्तियों के मूल्य पर और आईएमजी/सीजीएएम द्वारा सिफारिश की गई किसी अन्य कसौटी के आधार पर वैकल्पिक क्रियाविधि (ए एम) द्वारा विनिश्चय किया जाएगा, जो इस क्रियाविधि के माध्यम से आस्तियों के मुद्रीकरण का विनिश्चय करेगा।

[फा. सं. 37/32/2018-ईपी]

के. बी. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 22nd January, 2020

S.O. 292(E).—In pursuance of the powers conferred under sub-sections (5), (6) and (7) of section 8 A of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), the Central Government hereby makes the following order for disposal of immovable enemy properties vested in the Custodian of Enemy Property for India under the said Act, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Procedure and Mechanism for Disposal of Immovable Enemy Properties Order, 2020.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Inter-Ministerial Group (IMG).**—The Central Government may constitute an Inter Ministerial Group chaired/co-chaired by Secretary, DIPAM and Secretary, Ministry of Home Affairs and consisting of representatives of the Ministry of Home Affairs, Department of Economic Affairs, Department of Expenditure, Department of Public Enterprises, Department of Legal Affairs, Ministry of Corporate Affairs, Financial Advisor (DIPAM), Financial Advisor (Ministry of Home Affairs) and Custodian of Enemy Property for India (CEPI).

3. **Core Group of Secretaries on Asset Monetisation (CGAM).**—The Central Government may constitute a Core Group of Secretaries on Asset Monetisation (CGAM) under the Chairmanship of Cabinet Secretary comprising of Secretary (Department of Economic Affairs), Secretary (Department of Revenue), Secretary (Department of Expenditure), Secretary (Department of Public Enterprises), Secretary (Ministry of Corporate Affairs), Secretary (Department of Legal Affairs), Secretary (Urban Development) (in case of monetisation of land assets), Secretary (Ministry of Home Affairs) and Secretary (DIPAM).

4. **Alternative Mechanism (AM).**—The Central Government may constitute an Alternative Mechanism consisting of the following namely.

(i) Home Minister;

(ii) Finance Minister; and

(iii) Minister of Road Transport and Highways.

5. The procedure and mechanism for disposal of Immovable Enemy Properties.—

(1) The immovable enemy property recommended for sale by the Enemy Property Disposal Committee of the Ministry of Home Affairs in terms of clause (a) of sub-paragraph (1) of Paragraph 7 of the Guidelines for the disposal of Enemy Property Order, 2018 and approved by the Ministry of Home Affairs and having value above the threshold, as may be approved by the Alternative Mechanism shall be disposed of, through sale or otherwise, as per the policy and procedure as approved by the Central Government.

(2) The immovable enemy property recommended for sale by the said Enemy Property Disposal Committee in terms of clause (a) sub-paragraph (1) of paragraph 7 of the said Order and having value below the threshold as approved by Alternative Mechanism, shall be disposed of, through sale or otherwise, by the CEPI with prior approval of the Central Government.

(3) The policy and procedure as approved and laid out in OM No. 3/3/2018- DIPAM –II, dated the 8th March, 2019 and further detailed transaction process as may be approved by the Alternative Mechanism shall be followed for disposal of immovable enemy properties.

6. Submission of proposal by the Custodian of Enemy Property for India (CEPI) to DIPAM.—The CEPI shall before submitting any proposal to DIPAM in regard for disposal of immovable enemy property for placing before the Inter Ministerial Group (IMG).-

(i) select the properties for disposal in consultation with all the stakeholders including the State Government;

(ii) certify that the disposal of the identified enemy property is not in contravention of any judgement, decree or order of any court, tribunal or other authority or any law for the time being in force; and

(iii) certify that a clear title deed is available and that the property is free of encumbrances and encroachments; and give a complete proposal with the coordinates and revenue papers of the said property along with the circle rates (including the date on which this rate was fixed, and the periodicity of the revision of the circle rate), valuation and other relevant papers for consideration of the Inter- Ministerial Group (IMG).

7. The Inter Ministerial Group (IMG), after examining the proposal of CEPI, shall recommend it to the Core Group of Secretaries on Asset Monetisation (CGAM) or the Alternative Mechanism (AM), as the case may be, to approve the threshold value for sale of Immovable Enemy Properties.

8. Submission of report by the Custodian to the Central Government.—CEPI shall submit a report to the Central Government at such interval, of the immovable enemy property disposed of, whether by sale or otherwise, containing such details, including the sale value of such enemy property and the particulars of the buyer to whom the said property have been sold or disposed of; and the details of the proceeds of sale or disposal deposited into the Consolidated Fund of India, as the Central Government, may specify.

Explanation.—For the purposes of this Order, the threshold value of Enemy Property shall be decided by the Alternative Mechanism (AM) based on the value of assets and any other criteria recommended by IMG/CGAM which would determine the assets that would be monetised through this mechanism.

[F. No. 37/32/2018-EP]

K. B. SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.22 18:40:52 +05'30'